मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2014 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 (अग्रहायण 17, 1936)

समय 10.30 बजे दिन

1. आंग्ल-भारतीय समुदाय को मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में प्रतिनिधित्व संबंधी अधिसूचना का पटल पर रखा जाना

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्यपाल,मध्यप्रदेश द्वारा आंग्ल- भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को विधान सभा के सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित किये जाने विषयक विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15-1-2014-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 22 जुलाई, 2014 पटल पर रखेंगे.

2. शपथ

(1) उप चुनाव में निर्वाचित निम्नलिखित सदस्य शपथ लेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे :--

(1) श्री संजय पाठक
(2) कुंवर सौरभ सिंह, तथा
(3) श्री गोपाल परमार, एवं

(2) संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित आंग्ल-भारतीय समुदाय की श्रीमती लोरेन बी.लोबो शपथ लेंगी,सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगी और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगी.

3. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री अब्दुल रहमान अंतुले, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री
(2) श्री मुरली देवड़ा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(3) श्री रेशमलाल जांगड़े, पूर्व लोक सभा सदस्य,
(4) श्री खुमान सिंह रघुवंशी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
(5) श्री सुरेश चौधरी, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, तथा
(6) श्री शिव प्रताप सिंह, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य.

4. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

5. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखेंगी :--

(1) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश,2014 (क्रमांक 2 सन् 2014),
(2) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014),
(3) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 4 सन् 2014),
(4) भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 5 सन् 2014),
(5) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 6 सन् 2014),
(6) मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 7 सन् 2014),
(7) मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014),
(8) मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014),तथा
(9) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 10 सन् 2014).

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री –

(क) संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक,2014 पारित किये जाने से संबंधित लोक सभा एवं राज्य सभा की कार्यवाहियां और उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिए प्राप्त राज्य सभा सचिवालय की सूचना, तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट,1956 की धारा 619 –क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार –

(i) मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड,भोपाल का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च,2012 को समाप्त वर्ष के लिये,

(ii) एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का 43 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2011-2012,

पटल पर रखेंगी.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री,मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) की कण्डिका 22 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

7. जून-जुलाई, 2014 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

8. नियम 267 - क के अधीन जून-जुलाई, 2014 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

9. राष्ट्रपति / राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

10. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रामनिवास रावत, ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य, कृषकों को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत बीमा राशि का भुगतान न किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री मुकेश नायक, सदस्य, कटनी नगर में स्थापित उद्योगों द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

11.सभापति तालिका की घोषणा

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक, सदस्य, छतरपुर जिले के –
- (क) ग्राम विहरवारा बधियन नाला पर स्टाप डेम बनाये जाने,
- (ख) ग्राम बैरागढ़ को गुलाट पाटन मुख्य मार्ग से जोड़े जाने,
- (ग) ग्राम पडरो को पाटन गांव से जोड़ने एवं कालिया नाला पर स्टाप डेम बनाये जाने,
- (घ) ग्राम रामगढ़ की शा.प्रा.शा. बिल्डिंग का नवीन निर्माण किये जाने,
- (ङ) ग्राम लखनगुवां से ग्राम पाली तक सड़क बनाये जाने,
- (च) ग्राम शाहगढ़ स्थित घोघरा नाला पर स्टाप डेम बनाये जाने,
- (छ) ग्राम कांटी स्थित कटवा नाला पर स्टाप डेम बनाये जाने, तथा
- (ज) ग्राम अलपुरा स्थित बगा नाले पर स्टाप डेम कम रपटा निर्माण किये जाने.

(2) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, भिण्ड जिले के –
- (क) ग्राम कछपुरा से मल्लपुरा के बीच बेसली नदी पर रपटा (पुल) निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम मेहदौली में सुरेश चौधरी के दरवाजे से सी.सी.दीवाल तक नाला निर्माण एवं ग्राम मेंहदौली से अरेले का पुरा तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम खैरोली से दवेला के बीच वेसली नदी पर रपटा (पुल) निर्माण किये जाने,
- (घ) ग्राम सीताराम की लावन में मेनरोड से सीताराम मंदिर तक सड़क निर्माण किये जाने, तथा
- (ङ) ग्राम सच्चापुरा एवं दलेका पुरा तक सड़क का निर्माण किये जाने.

(3) श्री चम्पालाल देवड़ा, सदस्य, भोपाल शहर के –
- (क) रायसेन रोड के गोविन्द गार्डन की सर्विस रोड को अतिशीघ्र बनाये जाने,
- (ख) रायसेन रोड पर स्थित गोविन्द गार्डन कालोनी में नालियों का निर्माण किये जाने, तथा
- (ग) पुल बोगदा से लेकर इन्द्रपुरी तक स्ट्रीट लाईट लगाये जाने.

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि दंड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 18 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 19 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

14. प्रतिवेदन पर चर्चा

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंतर्गत उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 पर चर्चा.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 7 दिसम्बर, 2014